परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 18 जून, 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	27 अप्रैल 15

परियोजना का नाम	राजस्थान नवीनेय ऊर्जा पारेषण निवेश कार्यक्रम – किश्त 1
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	45224-003
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

सेक्टर	ऊर्जा
उप सेक्टर	विद्युत पारेषण और वितरण
रणनीतिक कार्यमदें	पर्यावरण अनुकूल विकास (ईएसजी) समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	लैंगिक समानता और मुख्यधारीकारण (जीईएम) भागीदारियां (पीएआर) निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण संवर्ग	संवर्ग 2: कारगर लैंगिक मुख्यधारीकरण (ईजीएम)

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रीति	अनुमोदन संख्या	निधीयन का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार)
ऋण	3052	साधारण पूंजी संसाधन	62,000
ऋण	8275	एडीबी स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि	88,000
तकनीकी सहायता	8486	एडीबी स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि	2,000
–	–	प्रतिपक्ष	127,000
योग			**US$ 279,000**

सुरक्षोपाय संवर्ग

सुरक्षोपाय संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

पर्यावरण	B
अस्वैच्छिक पुनर्वास	B
स्वदेशी लोग	C

पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं का सारांश

– पर्यावरण पहलू
– अस्वैच्छिक पुनर्वास
– स्वदेशी लोग

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

–
परियोजना डिजाइन के दौरान

–
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

वर्णन

राजस्थान ने ग्रिड में अतिरिक्त पारेषण क्षमता का उपयोग करते हुए 2011 के अंत तक लगभग 1767 मेगावाट पवन और 45 मेगावाट सौर ऊर्जा जनन का संस्थापन पूर्ण कर लिया था। राज्य का नवीनेय ऊर्जा हेतु निवेश योजना का लक्ष्य सन 2018 तक लगभग 8000 मेगावाट सौर तथा पवन ऊर्जा परियोजनाएं संस्थापित करना है। इनमें राजस्थान नवीनेय ऊर्जा निगम द्वारा भाडला में विकसित सोलर पार्क तथा नवीनेय ऊर्जा संसाधन सम्पन्न पश्चिमी राजस्थान (जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर) में बुनियादी रूप से स्थापित प्राइवेट सौर तथा पवन विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम से राज्य तथा राष्ट्रीय ग्रिड को नवीनेय ऊर्जा की निकासी हेतु पारेषण सुविधाओं को मदद मिलगी।

परियोजना तर्काधार और देश/प्रादेशिक रणनीति के साथ सम्बद्धता

भारत में 8 प्रतिशत का वार्षिक विद्युत अभाव है और लगभग 350 मिलियन लोगों को विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है। देश अपनी विद्युत जरूरतों की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन आयात (कोयला, गैस, तेल) पर भारी रूप से आश्रित है। सरकार ने इसके एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) 2006 में पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि देश को 2032 तक प्रत्याशित मांग वृद्धि की पूर्ति के लिए इसका विद्युत उत्पादन कम से कम पांच गुना बढ़ाना होगा तथा स्रोत मिश्र परिवर्तन करना होगा। भारत की भौगोलिक स्थिति को पूरे देश में 4–7 किलोवाट आवर/वर्गमीटर/दिन का सौर किरणन का वरदान प्राप्त है तथा कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में (राजस्थान सहित) उच्चतर सौर आपतन होता है। इस पृष्ठभूमि में, भारत ने नवीनेय ऊर्जा (आरई) में निवेश का निर्णय किया है।

विकास प्रभाव

राजस्थान/भारत में नवीनेय ऊर्जा स्रोतों का त्वरित विकास।

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
स्वच्छतर विद्युत मिश्रण के साथ अधिक दक्ष और कारगर उत्पादन एवं पारेषण प्रणाली	कार्यान्वयन चल रहा है

आउटपुट और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
1. राजस्थान में थोक विद्युत पारेषण प्रणाली का विस्तार। 2. नवीनेय ऊर्जा पार्क्स तथा पारेषण प्रणाली के लिए संस्थानिक क्षमता का विकास।	प्रोक्योरमेंट पैकेजेज के लिए बोलीदान चल रहा है। 7 में से चार पैकेजों का निर्णय किया जा चुका है। तीन आपूर्ति पैकेजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इन कार्यधाराओं के सहायतार्थ टीए के तहत परामर्शदाता नियुक्त किए जा चुके हैं।
विकास उद्देश्यों की स्थिति	प्रचालन/निर्माण की स्थिति
–	–
महत्वपूर्ण परिवर्तन	
–	

व्यवसाय अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	3 सितम्बर, 13

परामर्शी सेवाएं

अधिप्राप्ति

एडीबी द्वारा वित्तपोषित सामान, उपस्कर तथा सिविल कार्यों की अधिप्राप्ति एडीबी के अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों (2013 समय समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार की जाएगी। आरआरवीपीएनएल ने अग्रिम अधिप्राप्ति कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, जिसमें बोली दस्तावेजों का बाजार में स्थापन शामिल है, तथा अनुरोध किया है कि एडीबी इन कार्यवाहियों को प्राधिकृत कर पूर्वप्रभाव से वित्तपोषण की अनुमति प्रदान करे। आरआरवीपीएनएल सार्वजनिक क्षेत्र पारेषण निवेशों के लिए एडीबी को स्वीकार्य प्रतिस्पर्धी बोलीदान प्रक्रिया अपनाएगा। उपयोगिताओं को विद्युत बिक्री करने वाले निजी क्षेत्र के नवीनेय ऊर्जा विकासकर्ताओं का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा तथा उनके क्लाइंट्स के साथ आपूर्ति संविदा निष्पादित की जाएगी। उनकी सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित टर्नकी संविदाओं की अधिक संभावना है। आरआरईसी क्षेत्र में उत्पादित नवीनेय ऊर्जा, जिसमें पवन तथा सौर पार्कों की ऊर्जा शामिल है, की निकासी के लिए पारेषण लाइन्स के विकास की पसंद तथा क्रमनिर्धारण के लिए आरआरवीपीएनएल के साथ समन्वय करेगी। पूर्वप्रभावी वित्तपोषण की अनुमति ऋण हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व 12 माह में उपगत व्ययों हेतु व्यक्तिगत ऋण राशि के 20 प्रतिशत तक के लिए दी जाएगी।

अधिप्राप्ति तथा परामर्श–सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/45224-003/business-opportunities

समयसारणी

संकल्पना स्वीकृति	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंधन समीक्षा बैठक	29 जून, 12
अनुमोदन	22 अक्टूबर, 13

उपलब्धियां

अनुमोदन सं.	अनुमोदन	हस्ताक्षरण	प्रभावी तिथि	समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 3052	22 अक्टूबर, 13	12 सितम्बर, 14	6 नवम्बर, 14	31 दिसम्बर, 16	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एडीबी (हजार अमेरिकी डालर)	अन्य (हजार अमेरिकी डालर)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा अधिनिर्णय				
17 जून, 15	ऋण 3052	31,496	0	51.00%
संचयी संवितरण				
17 जून, 15	ऋण 3052	2,856	0	5.00%

उपसंविदाओं की स्थिति

उपसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं – लेखापरीक्षित लेखा, सुरक्षोपाय, सामाजिक, सेक्टर, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य। उपसंविदा अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड लागू करने द्वारा किया जाता हैः (i) संतोषजनक – इस संवर्ग में सभी उपसंविदाओं का अनुपालन अधिकतम एक अपवाद के साथ किया जा रहा है; (ii) आंशिक रूप से संतोषजनक – अधिकतम दो उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; (iii) असंतोषजनक – तीन या अधिक उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर इस संवर्ग में रखी जाती हैं। लोक संचार नीति 2011 के अनुसार परियोजना वित्तीय प्रकथनों हेतु उपसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनका वार्ता हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल, 2012 के पश्चात का है।

अनुमोदन सं.	वर्ग						
	सेक्टर	सामाजिक	वित्तीय	आर्थिक	अन्य	सुरक्षोपाय	सेक्टर
ऋण 3052	–	संतोषजनक	संतोषजनक	–	संतोषजनक	संतोषजनक	–

सम्पर्क तथा अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	लेन वी. जॉर्ज (lgeorge@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	ऊर्जा प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

लिंक्स

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/45224-003/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/45224-003/documents